

सं. 1/3/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

30 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2017 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 4 नवंबर, 2016 के का. ज्ञा. सं. 1/2/2016-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन के 2 % की विद्यमान दर से बढ़ाकर 4% कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2017 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव  
30/03/2017  
(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।